

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

(स्थापना शाखा)

(निदेशक (प्रा०शि०), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 281, दिनांक 23.01.2025 के आलोक में)

विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र

01. शिक्षक का नाम-
 02. वर्ग-
 03. विषय-
 04. नियुक्ति की कोटि (UR/BC/EBC/SC/ST/EWS):-
 05. विद्यालय का नाम-
 06. विद्यालय का U-DISE CODE-
 07. प्रखण्ड-
 08. विशिष्ट शिक्षक का आई०डी० सं०-
 09. जन्म तिथि-
 10. विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि-
 11. प्रशिक्षण तिथि-
 12. दक्षता/BTET/CTET का प्रकार-
 13. दक्षता/BTET/CTET उत्तीर्णता तिथि-
 14. बैंक खाता संख्या-
 15. IFSC कोड-
 16. स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि:-
(शिक्षा मित्र के रूप में जो दि० 01.07.2006 के पूर्व नियोजित हैं दे, योगदान की तिथि 01.07.2006 अंकित करेंगे।)
 17. प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि-
 18. क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अध्यावधि तक कोई सेवा में टुट है (हाँ/नहीं)?
 19. स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान तिथि-
को Level ————— Index ————— में प्राप्त मूल वेतन-
 20. विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 (यथा संशोधित) के फिटमेंट मैट्रिक्स 'अनुलप्रक-क' के अनुसार योगदान तिथि-----
को निर्धारित Level-2/3/5/6, Index ————— मूल वेतन-
 21. अगली वेतन वृद्धि तिथि
- नोट:- स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता/BTET/CTET प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति) संलग्न करें।

पत्रांक-----/दि०

पत्रांक-----/दि०

पत्रांक-----/दि०

शिक्षक का हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर
का हस्ताक्षर

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, मुजफ्फरपुर।